पत्रिका

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

1.65 करोड़ के आईओबी घोटाले में लिपिक की जमानत खारिज

रायपुर @ पत्रिका. इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) राजिम में हुए 1 करोड़ 65 लाख के गोल्ड लोन घोटाले में जेल भेजे गए लिपिक खेमनलाल कंवर की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रकरण की सुनवाई ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई। आरोपी ने जमानत दिए जाने पर जांच में सहयोग करने और सुनवाई के दौरान उपस्थिति दर्ज कराने का हवाला दिया। साथ ही चालान पेश किए के बाद साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ किए जाने की और विवेचना के प्रभावित नहीं होने का ब्योरा दिया था।

अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस समय ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।

बता दें कि 2022 में राजिम स्थित आईओबी घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजर सुनील कुमार, सहायक प्रबंधक अंकिता पाणिग्रही, लिपिक योगेश पटेल और खेमनलाल कंवर को जेल भेजा गया है। बैंक के तत्कालीन मैनेजर, सहायक प्रबंधक ने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए 1.65 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन फ्रॉड किया था। घोटाले को अंजाम देने लिपिक योगेश और खेमनलाल को शामिल किया गया था। ग्राहकों के कम ट्रांजेक्शन और बंद खातों का फर्जी दस्तावेजों के सहारे गोल्ड लोन स्वीकृत करने के बाद रकम आपस में बांट लिया था।

10/08/2025 | Raipur City | Page : 4
Source : https://epaper.patrika.com/